अनुदान संख्या 14 - दूरसंचार विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*		*87,65,00*	*87,64,21*	*-79*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	11587,38,00	11587,39,00	7602,35,90	-3985,03,10
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3840,15,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1506,66,00	1587,30,00	1583,37,61	-3,92,39
पूरक	Supplementary	80,64,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				60,30

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat –Economic Services				
मू.	O.	59938.00	40882.00	40116.61	-765.39
पु.	R.	-19056.00			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	480600.00	581860.00	568899.04	-12960.96
पु.	R.	101260.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	33500.00	..	..	..
पु.	R.	-33500.00			
मुख्य शीर्ष "3275" अन्य संचार सेवाएं	Major Head "3275" Other Communication Services				
मू.	O.	584700.00	151982.00	151220.25	-761.75
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-432719.00			

(I) ₹34801.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹34590.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - टेलीमैटिक्स विकास केंद्र" - ₹3500.00 लाख "सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी"

(I) Provision of ₹34801.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹34590.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Secretariat – Economic Services – General Administration - Department of Telecommunications – Centre for

स्कीम के निष्पादन में विलम्ब होने के कारण थे।

Development of Telematics" - ₹3500.00 lakhs – due to delay in execution of "Security Research and Monitoring" scheme.

(ख) "अन्य संचार सेवाएं - विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति - विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" - ₹30000.00 लाख वायरलैस ब्राडबैंड स्कीम लागू न किए जाने, एनई-I एवं एनई-II में आप्टिकल फाइबर केबल संवर्धन, इन्फ्रा डिस्ट्रिक्ट उप मंडल मुख्यालय/जिला मुख्यालय आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्किंग के सृजन एवं प्रबंधन संबंधी दावे प्राप्त न होने और विशेष प्रयोजन वाहन माड्यूलों एवं चार्ज इंडीकेटरों का प्रावधान न किए जाने की वजह से शामिल न किए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन चरण-II संबंधी दावे अस्वीकृत किए जाने तथा रोल आउट में गिरावट आने के कारण थे।

(b) "Other Communication Services – Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation – Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" – ₹30000.00 lakhs – due to non-implementation of Wireless Broadband Scheme, non-receipt of claims for Optical Fibre Cable augmetnation, creation and management of Infra-District Sub Divisional Headquarters/ District Headquarters Optical Fibre Cable networking in NE-I and NE-II and disallowance of claims for uncovered Village Public Telephones Phase-II owing to non-provisioning of Special Purpose Vehcile Modules and Charge Indicators and shortfall in roll out.

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" - "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" - ₹1090.00 लाख वायरलैस ब्राडबैंड स्कीम लागू न किए जाने, एनई-I एवं एनई-II में आप्टिकल फाइबर केबल संवर्धन, इन्फ्रा डिस्ट्रिक्ट उप मंडल मुख्यालय/जिला मुख्यालय आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्किंग के सृजन एवं प्रबंधन संबंधी दावे प्राप्त न होने और विशेष प्रयोजन वाहन माड्यूलों एवं चार्ज इंडीकेटरों का प्रावधान न किए जाने की वजह से शामिल न किए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन चरण-II संबंधी दावे अस्वीकृत किए जाने तथा रोल आउट में गिरावट आने और राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यान्वित किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "3275" – "Tribal Area Sub-Plan – Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" – ₹1090.00 lakhs - due to non-implementation of Wireless Broadband Scheme, non-receipt of claims for Optical Fibre Cable augmetnation, creation and management of Infra-District Sub Divisional Headquarters/District Headquarters Optical Fibre Cable networking in NE-I and NE-II and disallowance of claims for uncovered Village Public Telephones Phase-II owing to non-provisioning of Special Purpose Vehcile Modules and Charge Indicators and shortfall in roll out and non-implementation of National Optical Fibre Network (NOFN).

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(II) Under Major Head "3451" – savings occurred under the following heads:-

(का) "सचिवालय - सचिवालय - संचार मंत्रालय"- ₹334.27 लाख की बचत (₹706.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, विदेश यात्रा व्ययों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग" -

(क) "निदेशालय" - ₹10916.81 लाख की बचत (₹31193.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, घरेलू यात्रा व्ययों, विदेश यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कार्यालय व्ययों, व्यावसायिक सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "टेलीमैटिक्स विकास केंद्र" - ₹6410.00 लाख की बचत (₹21410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी" स्कीम के निष्पादन में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ग) "प्रशासक - विश्वव्यापी सेवा निधि" - ₹178.08 लाख की बचत (₹432.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, कार्यालय व्ययों, व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घ) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी प्रकोष्ठ" - ₹1761.22 लाख की बचत (₹4211.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड से कम दावे प्राप्त होने और चिकित्सा, घरेलू यात्रा व्ययों, कार्यालय व्ययों एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Secretariat- Secretariat - Ministry of Communications" - saving of ₹334.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹706.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, foreign travel expenses, medical reimbursement and economy measures.

(B) "General Administration – Department of Telecommunications"-

(a) "Directorate" – saving of ₹10916.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31193.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, domestic travel expenses, foreign travel expenses, receipt of less claims towards office expenses, professional services, information technology and economy measures.

(b) "Centre for Development of Telematics" – saving of ₹6410.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21410.00 lakhs) was due to delay in execution of "Security Research and Monitoring" scheme.

(c) "Administrator-Universal Service Fund"- saving of ₹178.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹432.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, office expenses, professional services and economy measures.

(d) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" – saving of ₹1761.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4211.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Bharat Sanchar Nigam Limited in respect of deputationists and receipt of less claims towards medical, domestic travel expenses, office expenses and information technology.

(III) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन" - ₹30763.96 लाख की बचत (₹101931.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "उपदान - सामान्य पेंशन" - ₹14189.56 लाख की बचत (₹113150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "छुट्टी नकदीकरण हितलाभ - सामान्य पेंशन" - ₹471.57 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "वायरलैस आयोजना और समन्वय - वायरलैस आयोजना और समन्वय" - ₹359.17 लाख की बचत (₹1189.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय रेडियो स्पैक्ट्रम प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक अनुरक्षण संविदा का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "निगरानी सेवाएं - वायरलैस निगरानी सेवाएं" - ₹573.82 लाख की बचत (₹2742.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, तकनीकी स्कीमों को लागू न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) "विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति - सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" - ₹206410.00 लाख की बचत (₹268910.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Under Major Head "2071" – "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Commuted Value of Pension - Ordinary Pensions" – saving of ₹30763.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹101931.00 lakhs);

(B) "Gratuities – Ordinary Pensions" – saving of ₹14189.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113150.00 lakhs); and

(C) "Leave Encashment Benefits – Ordinary Pensions" – saving of ₹471.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims.

(IV) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Wireless Planning and Co-ordination – Wireless Planning and Co-ordination" - saving of ₹359.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1189.00 lakhs) was due to non-execution of Annual Maintenance Contract under National Radio Specturm Management and Monitoring System (NRSMMS).

(B) "Monitoring Services – Wireless Monitoring Services" - saving of ₹573.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2742.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, non-implementation of technical schemes and economy measures.

(C) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers" – saving of ₹206410.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹268910.00 lakhs); and

(घा) "आरक्षित निधियों को अंतरण - विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को अंतरण" - ₹237500.00 लाख की बचत (₹300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वायरलैस ब्राडबैंड स्कीम लागू न किए जाने, एनई-I एवं एनई-II में आप्टिकल फाइबर केबल संवर्धन, इन्फ्रा डिस्ट्रिक्ट उप मंडल मुख्यालय/जिला मुख्यालय आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्किंग के सृजन एवं प्रबंधन संबंधी दावे प्राप्त न होने और विशेष प्रयोजन वाहन माड्यूलों एवं चार्ज इंडीकेटरों का प्रावधान न किए जाने की वजह से शामिल न किए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन चरण-II संबंधी दावे अस्वीकृत किए जाने तथा रोल आउट में गिरावट आने और राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यान्वित किए जाने के कारण हुईं।

(ङ) "अन्य व्यय"-

(क) "प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन"- ₹112.47 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश यात्रा व्ययों, विज्ञापन एवं प्रचार और अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" - ₹313.91 लाख की बचत (₹2201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिटी और राष्ट्रमंडल दूरसंचार संघ संबंधी अंशदान के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण" - ₹125.08 लाख की बचत (₹1199.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(D) "Transfer to Reserve Funds – Transfer to Universal Service Obligation Fund" - saving of ₹237500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-implementation of Wireless Broadband Scheme, non-receipt of claims for Optical Fibre Cable augmetnation, creation and management of Infra-District Sub Divisional Headquarters/District Headquarters Optical Fibre Cable networking in NE-I and NE-II and disallowance of claims for uncovered Village Public Telephones Phase-II owing to non-provisioning of Special Purpose Vehcile Modules and Charge Indicators and shortfall in roll out and non-implementation of National Optical Fibre Network (NOFN).

(E) "Other Expenditure" –

(a) "Technology Development and Investment Promotion" – saving of ₹112.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards foreign travel expenses, advertising and publicity and other administrative expenses.

(b) "International Co-operation" – saving of ₹313.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2201.00 lakhs) was due to receipt of less claims against contribution towards Asia Pacific Telecommunity and Commonwealth Telecommunication Organisation.

(c) "Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal" – saving of ₹125.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1199.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(घ) "प्रशिक्षण"- ₹683.21 लाख की बचत (₹1099.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13109.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3275" - "अन्य व्यय - भारतीय टेलीफोन उद्योग को प्रतिपूर्ति - बंगलौर" के अंतर्गत दिसम्बर 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13106.91 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" -

(क) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - ₹116311.69 लाख का अधिक व्यय (₹222515.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन"- ₹17395.26 लाख का अधिक व्यय (₹41598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि होने और बीएसएनएल कर्मचारियों के पेंशन संशोधन मामलों संबंधी बकाया राशि की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" - "अन्य व्यय - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि को अंतरण" - ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के किराए और विभिन्न न्यायालयों में विधिक मामलों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से व्यावसायिक प्रभारों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(d) "Training" – saving of ₹683.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1099.00 lakhs) was due to non-conduction of various training programmes.

2.(I) The above savings were partly (₹13109.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "3275" – "Other Expenditure – Compensation to Indian Telephone Industries – Bangalore". Actual excess, however, was ₹13106.91 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" – "Civil" –

(a) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" – excess of ₹116311.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹222515.00 lakhs); and

(b) "Family Pensions – Family Pensions" – excess of ₹17395.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41598.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to increase in number of pensioners and payment of arrears on account of pension revision cases of BSNL employees.

(B) Major Head "3275" – "Other Expenditure – Transfer to Telecom Regulatory Authority of India General Fund" – excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to increase in rent of office building and professional charges owing to increased number of legal cases in various courts.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	14500.00			
पू.	S.	735.00	..	..	..
पु.	R.	-15235.00			
मुख्य शीर्ष "5275" अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	130165.00			
पू.	S.	7329.00	152669.70	152342.61	-327.09
पु.	R.	15175.70			

(I) ₹18771.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹18720.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹18771.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹18720.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" -

(A) Major Head "4552" –

(क) "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय" -

(a) "Capital Outlay on Other Communication Services – Other Expenditure" –

(i) "रक्षा सेनाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" - ₹14505.00 लाख (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹735.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(i) "OFC based network for Defence Services" – ₹14505.00 lakhs (including supplementary grant of ₹735.00 lakhs obtained in March, 2013);

(ii) "दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र" - ₹150.00 लाख; और

(ii) "Telecom Engineering Centre" - ₹150.00 lakhs; and

(ख) "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य संचार सुविधाएं - निगरानी सेवाएं" - ₹555.00 लाख।

(b) "Capital Outlay on Other Communication Services - Other Communication Facilities - Monitoring Services" –₹555.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" - "अन्य संचार सुविधाएं - निगरानी सेवाएं" - ₹3510.00 लाख प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से वीकल माउंटेड/पोर्टेबल वैरी/अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टर्मिनलों और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव टर्मिनलों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "5275" – "Other Communication Facilities – Monitoring Services" - ₹3510.00 lakhs - due to non-procurement of vehicle mounted/portable Very/Ultra High Frequency (V/UHF) terminals and Super High Frequency (SHF) Microwave Terminals owing to procedural delay.

(II) मुख्य शीर्ष "5275" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5275" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य संचार सुविधाएं - कार्यालय भवन" - ₹1264.40 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Other Communication Facilities – Office Building" – saving of ₹1264.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Central Public Works Department for construction of office building.

(खा) "अन्य व्यय"-

(B) "Other Expenditure" –

(क) "दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र" - ₹1175.32 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगली पीढ़ी की परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Telecom Engineering Centre" – saving of ₹1175.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to delay in implementation of Next Generation Test Labs.

(ख) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" - ₹1686.50 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन/अवसंरचना के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।

(b) "Training Institute for Communication Finance" – saving of ₹1686.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was due to delay in construction of building/infrastructure for training centre.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹22641.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5275" - "अन्य व्यय - रक्षा सेनाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" के अंतर्गत मार्च, 2013 में ₹7329.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22558.65 लाख था।

4. The above savings were partly (₹22641.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtianing supplementary grant of ₹7329.00 lakhs in March, 2013 under Major Head "5275" – "Other Expenditure – OFC based network for Defence Services". Actual excess, however, was ₹22558.65 lakhs.

5. ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि:-***

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्ययोग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2012-13 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

5. ***Telecom Regulatory Authority of India General Fund:-***

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 9th January, 2004, broadcasting and cables services have also come under the purview of TRAI. The grants for TRAI is made by Central Government.

The Account of the Fund for 2012-13 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	28,71,04
प्राप्तियां	Receipts	56,50,00
अदायगियां	Payments	49,76,00
अंतशेष	Closing Balance	35,45,04

6. ***विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि:-***

नई दूरसंचार नीति 99 में सभी को सामर्थ्ययोग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने के प्रावधान पर विचार किया गया है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जोकि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाइसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2012-13 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

6. ***Universal Service Obligation Fund:-***

The New Telecom Policy 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy(USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of license fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per Budgetary procedure.

The Account of the Fund for 2012-13 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	625,00,00
अदायगियां	Payments	625,00,00
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL